न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

वाद संख्या 127/14	धारा अंतर्गत 88.89.90 राज	निर्णय दिनांक 11-10-18
समक्ष - सन्तोष कुमार मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्रीमति एवं [illegible]	अभिभाषक प्रतिवादी —	

वाद शीर्षक

रामचन्द पुत्र जानकीलाल जाति मीणा नि० उम्मेदगंज की फरियादिया हट० के खिलाफ बाँध — वादी

बनाम

1. जगमोहन पुत्र जानकीलाल जाति मीणा नि० उम्मेदगंज की फरियादिया - बाद
2. पुष्पा बाई पुत्री जानकीलाल पत्नी गोपालराम जाति मीणा नि० लेवर
3. कालीबाई पुत्री जानकीलाल पत्नी रामदयाल मीणा नि० रामपुरा हट० रामदेव
4. नन्दी बाई पुत्री जानकीलाल पत्नी बहादुरलाल जाति मीणा नि० विलिटी [illegible]
5. राजपाल जाति बड़ि हट० बाँध

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वाद वादी हरीराम किया बारा वादग्रस्त भाटी ग्राम उम्मेदगंज तह० बाँध ख.नं. 91 रकबा 0.03 है., 92 रकबा 2.35 है. 274 रकबा 2.93 है. 287 रकबा 1.87 है., 288 रकबा 1.60 है. व 396 रकबा 0.08 है. कुल 6 बिघा 8.86 है. खाता नं. 33 में है प्रति वादी 2 व 4 को मान हटाया जाने व वादी हक प्रति की। इस भाग में खर्चे दर्ज कराने के लिए डिक्री करते हैं।

प्रमाणित प्रति
रीडर
उप खण्ड अधिकारी
बारां

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 11-10-18 को निर्गत किया गया।

मिलान किया सही पाया
हस्ताक्षर लिपिक

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		
8	अन्य/क्षतिपूर्ति		

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Heera Lal Meena
Date: 2019.11.21 15:13:41 IST
Reason: SelfAttested